अपील सूचना अधिकार संख्या 82/2018 (RCMS 2018/00202) श्री हरपाल सिंह सुधन, एडवोकेट, चैम्बर नं. 5 ए कचहरी परिसर, रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयानगर
25.02.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर से उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 17.08.2018 द्वारा चाही गई सूचनाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील पेश की गई है। अपीलार्थी ने अपील पत्र में प्रार्थना की है कि उसे निर्धारित अवधि मे सूचना उपलब्ध न करवाई जाने के कारण उसे विनिर्दिष्ट समय समाप्ति तारीख 10.10.2018 से सूचना जारी करने की तिथि तक प्रत्येक दिन के लिए 250 रूपये शास्ति अधिरोपित किए जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीविजयनगर से निम्न सूचना चाही थी :

> तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर के समक्ष प्रार्थी की माता सुरेन्द्र कौर पुत्री दलीप सिंह साकिन 3 एससी''ए'' तहसील श्रीविजयनगर के नाम से तहसील राजस्व लेखाकार शाखा में सेल रजिस्टर के खाता वाके ग्राम 3 एलसी''ए'' के मुरब्बा नम्बर 5 (121/352), आवंटन दिनांक 20.01.1966 की यथासंभवन शीघ्र प्रमाणित प्रतिलिपि डाक द्वारा भिजवाएं जाने की कृपा करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक 380 दिनांक 09.10.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा ग्राम 3 एससी''ए'' के मुरब्बा नम्बर 5 (121/352) की सेल रजिस्टर क प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। सेल रजिस्टर का संधारण खाता नम्बर अनुसार होता है। सेल रजिस्टर के किस खाता संख्या की प्रतिलिपि आप द्वारा चाही गई है। उल्लेख नहीं किया गया है। आप द्वारा दी गई विशिष्टियां पूर्ण नहीं है। लोक सूचना अधिकारी का दायित्व नहीं है कि वह विशिष्टियों का सृजन कर आपको सूचना प्रदान करें।

अतः आप कार्यालय समय में व्यक्तिशः उपस्थित आकर (कार्य दिवस) पूण्र विशिष्टियों का सृजन कर अभिलेख का निरीक्षण कर प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीविजयानगर ने अपने पत्रांक 555 दिनांक 26.12.2018 से अपील का निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया है :

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी श्री हरपाल सिंह सुधन द्वारा अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें कार्यालय के पत्रांक 380 दिनांक 09.10.2018 द्वारा अभिलेख का निरीक्षण कर प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लिखा गया था। लोक सूचना अधिकारी के जवाब के अनुक्रम में अपीलार्थी आज दिनांक तक प्रतिलिपि लेने हेतु उपस्थित नहीं आये है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दी गई विशिष्टियां अपूर्ण है तथा लोक सूचना अधिकारी ने अधिनियम की अवधारण के अनुरूप कार्य किया। अपीलार्थी पूर्ण शिष्टियों का सृजन कर अभिलेख देखकर करता है तो अविलम्ब प्रतिलिपि प्रदान कर दी जाएगी।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा चाह गया अभिलेख 20 वर्ष से अधिक पुराना है सिजकी अनुक्रमणिका जीर्ण–शिर्ण है। उक्त परिस्थितियों के बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी अपीलार्थी से सहयोग को तत्पर है एवं अपीलार्थी अभिलेख लेने में सहयोग करने को तैयार नहीं है। अतः अपील काबिल खारिज योग्य है।

उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है इसलिए लोक सचूना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, विजयनगर ने उसे अपने पत्र दिनांक 09.10.2018 द्वारा यह सूचित किया है कि वह कार्यालय समय में उपस्थित होकर वांछित अभिलेख से सम्बन्धित विशिष्टियों प्रस्तुत कर अभिलेख का निरीक्षण कर प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीविजयनगर द्वारा जो उक्तानुसार दिया गया उत्तर सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए** सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उसके द्वारा बताई गई विशिष्टियो के आधार पर कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार निरीक्षण करवा दिया जावे और यदि वह उपलब्ध अभिलेख में से किसी भी निश्चित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार शीघ्र उपलब्ध करवा दी जावे।

आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 25.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर